तारीख हुक्म	146/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.10.17 को पेश हो।	
23.10.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। पत्रावली दिनांक 13.11.17 को पेश हो।	
13.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। प्रकरण में पुनः बहस सुना जाना उचित है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.11.17 को पेश हो।	
21.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.11.17 को पेश हो।	04.12.17
27/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखवाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/12/2017 को पेश हो।	
18/12/17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी ख.नं 330 के रकबा 0.07 है० एवं 339 रकबा 0.20 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है० वाके ग्राम मिठारा तहसील शाहपुरा प्रस्तुत किया, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/2/2017 को प्रारम्भिक	

23/5/2017 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आधारित निर्णय पारित किया जाना दर्शाया गया है एवं जिसके अनुसार ख न 339/2 रकबा 0.02 हे० गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया। इस प्रकार जो प्रारम्भिक डिक्री में आराजी ख न 339 अपीलान्ट के हक मे रखना निर्धारित किया गया है मे से रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिससे प्रभावित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे निवेदन किया कि आराजी ख. न 330 व 339 के कुछ भाग पर उनके कब्जे वाली आराजीयात ख न 348 व 330 से लगता हुआ है, पर काफी अरसे से मनबर के आधार पर काबिज काश्त है शेष भूमि पर प्रतिवादी/अपीलार्थीस की काबिज काश्त है उस हिस्से मे वादी/रेस्पोडेन्ट का कोई लेना देना है एवं न ही उस हिस्से मे वादी/रेस्पोडेन्ट के आने-जाने का रास्ता था, न ही वादी/रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की जमीन मे आराजी ख न 348 जिसमे मकान आदि बने हुये है मे से आते जाते है बल्कि एक अन्य सरकारी सिमेन्टेड रास्ता जो लगभग 15 फिट है से होकर आते-जाते है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सही तथ्यो को समझे

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामेश्वर / सुरजमान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
556/2017	3	

बिना नवीन रास्ता कायम करने मे गलती की है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को कुर्रेजात तैयार करने हेतु निर्देश दिये थे किन्तु तहसीलदार द्वारा जो राजस्व मण्डल द्वारा नियम बनाये गये है की पालना नही करते हुये रिपोर्ट तैयार की है क्यूकी न तो उनके द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने हेतु प्रतिवादी। अपीलान्ट्स को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस जारी किया गया बल्कि सारी कुर्रेजात रिपोर्ट वादी। रेस्पोंडेन्ट्स ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर तहसील मे बैठकर तैयार करवाई गयी। जिसे नक्शो के साथ उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी गई। अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उसके साथ बने नक्शो की ओर आकर्षित कर निवेदन किया कि चूंकी अपीलार्थी को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस नही दिया गया था इसी वजह से कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शो पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है। कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कराते वक्त इस तथ्य का कतई ध्यान नही दिया गया कि वादी। रेस्पोंडेन्ट के आने-जाने का रास्ता प्रतिवादी। अपीलान्ट्स के हिस्से की आराजी मे से कभी नही रहा बल्कि वादी। रेस्पोंडेन्ट्स को उनके हिस्से की आराजीयात में आने जाने हेतु एक नही बल्कि दो-दो रास्ते विद्यमान है जिसमे एक सरकारी सिमेन्टेड रास्ता जो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
546/2017	राजेन्द्र / सुरजमाल	

4

आराजी ख न 330 तक है व दुसरा रास्ता
आराजी ख न 348 मे से होकर है जिसमे
उनके मकानात भी बने हुये है। अभिभाषक
अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया कि
कुर्रेजात रिपोर्ट में जो नवीन रास्ता दर्शाया
गया है उस स्थान पर प्रतिवादी/अपीलांट
के पानी के होद व एक पक्का चबूतरा
जिस पर भगवान विराजमान है जिससे
स्पष्ट है कि वह भूमि कभी रास्ते के
उपयोग में नही रही। ऐसी स्थिति में कुर्रेजात
रिपोर्ट सही नही होने से उसके आधार पर
पारित अन्तिम डिक्री नियम विरूद्ध पारित
की गई है जिसे निरस्त फरमाया जाकर
प्रकरण पुनः राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित
नियमो के तहत सही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार
करवाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय
को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक- रेस्पोन्डेन्टस ने
अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि
रेस्पोडेन्ट नं. 3,4 व 5 के विरूद्ध दिनांक
10/12/2015 को ही एक्स पार्टी आदेश अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका था
एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी ~~सुरेश~~ द्वारा अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा जारी नोटिस जो दिनांक
11/3/2016 हेतु जारी किया गया था स्वयं
के द्वारा लिया गया है जिससे उनका यह
कहना कि उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया
गया सर्वथा गलत है। अधिनस्थ न्यायाल द्वारा
प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप ही अन्तिम डिक्री
पारित की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भिक
डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही
की गई है अतः अब इस अपील मे कोई

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राकेश / सुरजमान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
446/2017	5	

सार नही होने से खारिज फरमाई जावे। इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 द्वारा प्रस्तुत कई दस्तावेज के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत मिठारा लेखकावास द्वारा जारी पत्र दिनांक 25/7/2013 का हवाला बहस के दौरान दिया गया है।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे जो विशेष रूप से तामील के सम्बन्ध मे प्रश्न उठाया गया है, के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी को जारी नोटिस जो दिनांक 11/3/2016 हेतु था पर अपीलार्थी के प्राप्ति हस्ताक्षर है किन्तु उक्त नोटिस दिनांक 11/3/2016 हेतु जारी किये गये थे, इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/2/2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी थी एवं इसके पश्चात कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रकरण तहसील को प्रेषित किया जाना था जिसमें पृथक से तहसील द्वारा पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना पक्षकारान् को दी जानी थी, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दिया जाना प्रतीत नही होता है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उस पर आधारित अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे जारी किया जाना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	546/2017 राजेश / सुरजभान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/5/2017 निरस्त करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को इन निर्देशो के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि वे तहसील से दोनो पक्षो की उपस्थिति मे ~~दोनो पक्षो~~ रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिसमे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जावे कि मेडी आराजी ख.नं. 330 में जाने हेतु पूर्व मे ही कोई रास्ता उपलब्ध है तो क्या इसके पश्चात भी अन्य रास्ता कायम किये जाने की आवश्यकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	